केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/299 दिनांक: 02.12.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00200
CICOM/R/2019/00616

अपीलकर्ता : श्री ज्ञान स्वरूप,
एडवोकेट,
म.नं. 253 ए, जियामऊ,
हजरतगंज, लखनऊ ।

निर्णय की तारीख: 02.12.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.08.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.09.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	08.11.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	19262/14.11.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.08.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग में आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित की गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 08.08.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में दिनांक 12.09.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री के. एल. दास द्वारा सूचना प्रेषित की गई है । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री के. एल. दास द्वारा प्रेषित की गई सूचनाएं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत बिल्कुल तथ्यानुसार एवं स्पष्ट हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री के. एल. दास द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना की प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है ।

3. तद्नुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक - यथोपरि ।

C.I.C./के. सू. आ.
RECEIVED
02 DEC 2019
D. No.........
Initials.........

(शान्ति प्रिय बेक)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. Sh. K. L. Das, CPIO & DO to IC (BJ), CIC, New Delhi.